

पृथीज

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर चतुर्थ

क्रम संख्या 2020352003855

वाराणसी

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 27/02/2020

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम उदय प्रताप सिंह एड०

लेख का प्रकार : भार प्रमाण पत्र

2009 वर्ष से 2020 तक

प्रतिफल की धनराशि 100

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुफ्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 100

शुल्क वसूल करने का दिनांक 27/02/2020

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश 27/02/2020

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 2

प्रारूप संख्या 29

(नियम 327)

तलाश का प्रमाणपत्र (महानिरीक्षक के पत्र दिनांक 12.06.1973 द्वारा यथा संशोधित)
(हिन्दी अनुवाद)

प्रमाणपत्र संख्या— 945 वर्ष 2020 आवेदन संख्या 945 वर्ष 2020

श्री उदय प्रताप सिंह, एडवोकेट द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित, रजिस्ट्रीकृत कृत्यों और वारों का विवरण का प्रमाणपत्र के लिये आवेदन किये जाने पर आराजी नं० 498 में रकबा 0.052हे० व आराजी नं० 497 में रकबा 0.320हे० कुल दो गाटा रकबा 0.372हे० स्थित मौजा तरना, परगना शिवपुर, तहसील सदर व जिला वाराणसी। पूरब— पक्की सड़क स्थित मौजा, पश्चिम— जमीन दीगर शख्स, उत्तर— जुज भाग आराजी नं० 497 व 498, दक्षिण— जमीन दीगर शख्स, मालिक— रजनीश सिंह पुत्र राजेश प्रताप सिंह, कृष्णा सिंह पत्नी राजेश प्रताप सिंह, धनवन्ती देवी पत्नी राजबहादुर सिंह, रवि प्रकाश सिंह पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह सभी निवासीगण ग्राम तरना परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बही संख्या एक और तत्सम्बन्धित इन्डेक्सों की वर्ष 2009 से 2020 तक तलाश की गई और उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कृत्य या बार पाये गये/या कोई नहीं पाया गया)

क्रमांक	सम्पत्ति का ब्यौरा	लेखपत्र के निष्पादन की तारीख	प्रकार और मूल्यांकन	पक्षकारों के नाम		लेखपत्र का क्रमांक और वर्ष
				निष्पादन	दावेदार	
कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में प्रत्यक्षतः कोई जेर बार नजर नहीं आया।						

मैं यह भी प्रमाणित करना हूँ उपरोक्त कृत्यों और बारो को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य कृत्य या बार नहीं पाये गये।

नोट— इस प्रमाणपत्र में वे बार या कृत्य दिखाये जायेंगे जो आवेदक द्वारा दिये गये सम्पत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गये। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में सम्पत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाणपत्र में दर्ज नहीं दिया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासम्भव सावधानी के साथ की गई है और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिये उत्तरदायी न होगा।

3. इस प्रमाणपत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

तलाशकर्ता—नाम और पदनाम

प्रमाणपत्र तैयारकर्ता—नाम और पदनाम

तलाश का तथा प्रमाणपत्र का सत्यापन किया

प्रमाणपत्र का परीक्षा किया

डा० आशा पाण्डेय

नि० लि० हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

रमेशकर सिंह
(नि० लि०)

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
का हस्ताक्षर

04.3.20